UPMZ010065612026

न्यायालय, Addl. Distt. and Sess. Judge Court No-08, Muzaffarnagar.

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2562 सन् 2026

शाहरूख खान बनाम उ०प्र० राज्य

**मुकदमा अपराध संख्या 32 सन् 2026,
अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 61(2)
भारतीय न्याय संहिता
एवं 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर।**

25–05–2026

01:– आवेदक/अभियुक्त **शाहरूख खान पुत्र उम्मेद अली,** निवासी ग्राम मुझेडा सादात, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 32 सन् 2026, अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के मामले में निरुद्ध है, की ओर से जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

02:– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथकर्ता रिजवान की ओर से शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।

03:– संक्षेप में अभियोजन कथानक मामले के वादी मुकदमा समीर खान की तहरीर के आधार पर इस प्रकार है कि दिनांक 04–05–2026 को वादी मुकदमा का छोटा भाई तालिब उर्फ राजा किसी काम से अकबरपुर, थाना बहसूमा मेरठ गया था। जब वह स्कूटी नम्बर DL3SEV0457 से वापस अपने ग्राम जौली आ रहा था तो समय करीब 12 बजे दिन ग्राम हाशिमपुरा के ओवरब्रिज पर एक शिफ्ट कार रंग सफेद में कुछ बदमाश आये कार नम्बर HR51AS6211 था। जिन्होंने कार की साइड मारकर डिवाइडर पर गिरा दिया और उन लोगों ने वादी मुकदमा के भाई को गाडी में बिठाकर टोल प्लाजा से आगे जंगल में सरकारी ट्यूबैल पर ले गये और पिस्टल दिखाकर वादी मुकदमा के भाई से दो हजार रूपये छीन लिए तथा पी०एन०बी० और एस०बी०आइ० का ए०टी०एम०,

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.05.25 18:23:58 IST
Reason: Bail Order
Location: Addl.Session Judge, Court No-08,Mzn (UP).

आधार कार्ड, पैनकार्ड भी छीन लिया तथा ड़रा–धमकाकर ए०टी०एम० से बीस हजार रूपये भी निकाल लिये। उन लोगों ने अपना पिस्टल वादी मुकदमा के भाई के हाथ में देकर विडियो भी बनवायी जिसका वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वे लोग वादी मुकदमा के भाई को जंगल में छोड़कर भाग गये तथा मोबाईल स्कूटी भी वहीं छोड़ दी।

04:– आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए और उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय या किसी अन्य सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है तथा न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही खारिज हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय, श्रीमान सिविल जज सी.डि. कोर्ट संख्या 01, मुजफ्फरनगर के यहां से दिनांक 12–05–2026 को निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी नामजद मुल्जिम नहीं है। उपरोक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से उपरोक्त अपराध से संबंधित किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07–05–2026 से जेल में है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी हैं

05:– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) उपस्थित। उनके द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का विरोध किया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जाए।

06:– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) एवं वादी के अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

07:– जमानत प्रार्थनापत्र, केस ड़ायरी एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त शाहरूख खान के विरुद्ध आपराधिक षड़यन्त्र कर डकैती कर पीड़ित मौ० तालिब से 2000/– रूपये नकद एवं उसके एटीएम से 20,000/– रूपये निकालने तथा उसके कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद होने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है और न ही अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 07–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शाहरूख खान पुत्र उम्मेद अली** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 32 सन् 2026, धारा 310(2), 317(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रामराज, जनपद मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त **शाहरूख** द्वारा **अंकन 1,00,000/—(एक लाख) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

01. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, साक्षीगण के साक्ष्य, जिरह किये जाने तथा धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान लेखबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

02. वाद के निस्तारण में सार्थक सहयोग करेगा।

दिनांकः— 25—05—2026

(काशिफ शेख)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 08, मुजफ्फरनगर।